आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......13..../17–18

राज्य बनाम नरेश कुमार का दुकान

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
11.7.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सहरसा सदर थाना कांड संख्या–774/16 दिनांक–14.11.16 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत दुकान को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सहरसा सदर थाना कांड संख्या–774/16 दिनांक–14.11.16 में पु0अ0नि0 नीतेश कुमार, सदर थाना सहरसा के स्वःलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नरेश कुमार पे0 बिरेन्द्र भगत सा0–कचहरी चौंक वार्ड नं0 01, थाना व जिला–सहरसा के विरूद्ध कुल 72.870 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद होने के आरोप में आरोप में प्रतिवेदित हुआ है। उक्त विदेशी शराब को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त दुकान से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जप्त दुकान से शराब का कारोवार किया गया है। वह रेलवे की सरकारी जमीन पर अवैध ढ़ंग से निर्मित है। ऐसी स्थिति में जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश विधिसम्मत् है। विपक्षीगण दुकान मालिक की ओर से कोई कारणपृच्छा नहीं दाखिल किया गया। स्पष्ट है कि दुकान चुंकि अतिक्रमण की जमीन में है इसलिए दुकान मालिक कुछ नहीं कहना है।	

11.7.18

	विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दुकान से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद दुकान से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी सदर सहरसा को दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करते हुए आदेश दिया जाता है कि अतिक्रमण को मुक्त करवाते हुए न्यायालय को सूचित करें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है। 11.7.17 समाहर्त्ता, सहरसा। 11.7.17 समाहर्त्ता, सहरसा।	

समाहरणालय सरहसा
(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 1099-2 / विधि, दिनांक 25-07-2017

प्रतिलिपि– अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।
25.07.017

9